न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 96 / प्रा0पत्र / 2020

1. प्रभूलाल आ0 जयकिशन जाति गुर्जर निवासी लुहारिया तहसील हिण्डोली ज़िला बून्दी राज0
2. अम्बालाल आव जयकिशन जाति गुर्जर निवासी अमरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. लक्ष्मण आ0 जयकिशन जाति गुर्जर निवासी अमरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. गंगाराम आ0 जयकिशन जाति गुर्जर निवासी अमरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0

2. हीरालाल आ0 भोलू जाति गुर्जर निवासी ग्राम लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता– श्री कैलाश चन्द गुप्ता

निर्णय दिनांक :– 14 / 07 / 2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 449 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 450 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सख्या 471 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 472 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 502 करबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सख्या 512 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सख्या 518 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम लुहारिया पटवारी मंण्डल मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की नकल जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने हेतु पुरातन रास्त खसरा सख्या 517, 521 व 522 पर होकर बना हुआ है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से करते आ रहे है। खसरा संख्या 522 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक था जिसमें से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 हीरालाल के नाम आवंटित हो चुकी है, जिसका नम्बर 580 / 522 है, शेष 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि सिवायचक है और प्रार्थीगण का रास्ता भी सिचायचक भूमि पर ही था लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ते की भूमि पर अपने नाम आवंटित भूमि खसरा संख्या 580 / 522 की तरमीम करवा ली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

(25)

खसरा संख्या 517 व 521 सिवायचक भूमि है इस प्रकार खसरा संख्या 517, 521, 522 व 580/522 पर रास्ता बना हुआ है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 522 में से 5 बीघा भूमि हीरालाल के नाम आंवटित होने से हीरालाल उक्त 5 बीघा भूमि की आड में खसरा संख्या 522 की शेष 15 बीघा 19 बिस्वा पर भी अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्व करता है जबकि खसरा संख्या 522 में उसका नम्बर 580/522 रकबा 5 बीघा अलग हो चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 518 पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 517, 521, 522 व 580/522 पर होकर रास्ता घोषित करवाना चाहते है एवं घोषित रास्ते की नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमियों पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वेकल्पित रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने श्रीमान के न्यायालय में 251 क के तहत रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र सरकार के विरूद्व प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि पर भी रास्ता प्रस्तावित किया गया है। और स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसको स्वीकार करने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से माननीय न्यायालय में अप्रार्थी हीरालाल का पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को स्वीकार किया है। और न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 517, 521, 522 व 580/522 वाके ग्राम लुहारिया पर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है उक्त खसरा नम्बरान के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर रास्ता घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त की जाने वाली सरकारी भूमि खसरा संख्या 517, 521, 522 की प्रतिकर राशि नियमानुसार राज्य सरकार में व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 580/522 की प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या 2 को नियमानुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र निर्धारति न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 518 पर पहुचने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 517, 521, 522 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 580/522 वाके ग्राम लुहारिया पर 12 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे एवं रास्ते की राजस्व नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण को उपलब्ध हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबध में पत्र क्रमांकः– राजस्व/2020/1361 दिनांक :– 27.10.2020 से पेश की गई, जो शा0 मिसल की गई।

प्रकरण में दिनांक :– 04.08.2021 को प्रार्थी हीरालाल आ0 भोलू गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का पेश किया, जो शा0 मिसल किया गया। पत्रावली इसी दौरान प्रशासन गावों के संग अभियान, 2021 में आयोजित शिविर ग्राम पंचायत मेण्डी में पेश हुई, दौराने शिविर वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक

अदालत की भावना से स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के उपरान्त संशोधित शीर्षक पेश किया जो शा0 मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पक्षकार बनने के उपरान्त जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है, मौके पर जहॉ प्रार्थी रास्ता चाहता है, वहॉ पर अप्रार्थी के मकान व बाडा बना हुआ है जिस पर प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित किया गया तो उसकी आजाविका नष्ट हो जावेगी व रिहायसी मकान नष्ट हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर ये प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तावित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांकः– राजस्व/2020/1361 दिनांक :– 27.10.2020 से पेश की गई, जो शा0 मिसल की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 449, 450, 471, 472, 502, 512, 518 वाके ग्राम लुहारिया पटवार मण्डल मेण्डी में आने जाने हेतु सिवाचयक खसरा सं0 517, 521, 522 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 580/522 में 12 फिट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है प्रार्थीगण के पास अन्य वेकल्पिक रास्ता है। रास्ता घोषित करने से हमारी भूमियों का स्वरूप बिगड जाएगा, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमियों खसरा संख्या 502, 518 पर वाके ग्राम लुहारिया पटवार मण्डल मेण्डी में पहुचने हेतु ग्राम लुहारिया के खसरा सं0 580/522 खातेदार के सहार–सहारे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 522 में होता हुआ खसरा नम्बर 580/522 के दक्षिणी– पूर्वी कोने से होता हुआ सिवायचक खसरा नम्बर 521 व 517 में होता हुआ प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 518 में पहुंचेगा। उक्त 12 फिट चौडे रास्ते में खसरा नम्बर 517 में से 4 बिस्वा, खसरा संख्या 521 में से 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 522 में 5 बिस्वा व खसरा संख्या 580/522 में से 1 बिस्वा भूमि काम में आवेगी, खसरा नम्बर 580/522 हीरा वल्द भोलू गुर्जर की खातेदारी में दर्ज है। साथ ही खसरा नम्बर 517, 521, 522 गे0मु0बर्डा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की भूमि तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैक्लपिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा सं0 449, 450, 471, 472, 502, 512, 518 वाके ग्राम लुहारिया पटवार मण्डल

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बूंदी)

...is not correct or it needs improvement, In this regard, the users are advised to verify, the correctness o...

मेण्डी में पहुचने हेतु ग्राम लुहारिया के खसरा सं0 580/522 के सहारे–सहारे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 522 में होता हुआ खसरा नम्बर 580/522 के दक्षिणी– पूर्वी कोने में से होता हुआ सिवायचक खसरा नम्बर 521 व 517 में होता हुआ प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 518 तक 12 फिट चौडे रास्ते में लगभग 1 बिस्वा भूमि जो कि अप्रार्थी हीरा वल्द भोलू गुर्जर की खातेदारी में है व खसरा सं0 517, 521, 522 गैरमुमकिन बरडा राजकीय सिवायचक में से क्रमशः 4 बिस्वा, 1 बिस्वा, 5 बिस्वा भूमि को प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि आबादी के समीप स्थित है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली सिवायचक भूमि की डीएलसी राशि 423946/– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली राजकीय सिवायचक भूमि 10 बिस्वा भूमि की राशि 34212रू/– जिसकी दुगनी राशि 68424रू/– प्रतिकर राशि का भुगतान राजकोष में जमा करवाने व खातेदारी भूमि की डीएलसी राशि 794801रू/– हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 1 बिस्वा भूमि की राशि 6358रू/– जिसकी दुगनी राशि 12716रू/– प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को किया जावे। प्रतिकर राशि का भुगतान करने पर निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रिर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

...if any information is not correct or it needs improvement, in this regard, the users are advised to verify, the correctness o...